<u>निर्वाचन तत्काल</u>
<u>कैंप बैग</u>

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

सं0.576/एग्जिट/ईसीआई/पत्र/प्रकार्या./न्यायिक/एसडीआर/खण्ड-।।/2018 दिनांक: 2 मई, 2018

सेवा में,

मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
कर्नाटक,
बैंगलोर।

विषय: कर्नाटक विधान सभा का साधारण निर्वाचन,2018-एग्जिट पोल-तत्संबंधी।

महोदय,

मुझे आयोग की दिनांक 2 मई, 2018 की अधिसूचना संख्या 576/एग्जिट/ईसीआई/पत्र/प्रकार्या./न्यायिक/एसडीआर/खण्ड-।।/2018 इस अनुरोध सहित इसके साथ अग्रेषित करने का निदेश हुआ है कि इसे राज्य के राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित करवाया जाए और उसकी एक प्रति रिकॉर्ड के लिए आयोग को भेजी जाए।

इसे समाचार ब्यूरो, मीडिया हाउस, रेडियो और टेलीविजन चैनलों इत्यादि सहित सभी संबंधितों के ध्यान में लाया जाए तथा प्रमुख स्थानीय समाचार पत्रों में भी प्रकाशित करवाया जाए।

भवदीय,

ह./-
(लता त्रिपाठी)
अवर सचिव

राज्यों के शासकीय राजपत्र
में तत्काल प्रकाशनार्थ

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

सं. 576/एग्जिट/ईसीआई/पत्र/प्रकार्या./न्यायिक/एसडीआर/खण्ड-।।/2018 दिनांक: 2 मई, 2018

<u>अधिसूचना</u>

यत:, कर्नाटक विधान सभा के साधारण निर्वाचन की घोषणा आयोग के दिनांक 27 मार्च, 2018 के प्रेस नोट संख्या ईसीआई/पीएन/22/2018 के द्वारा की जा चुकी है।

2. यत:, आयोग द्वारा यथा-घोषित कार्यक्रम के अनुसार, कर्नाटक राज्य में निर्वाचन के लिए मतदान **दिनांक 12.05.2018 (शनिवार)** को होना निर्धारित है; और

3. यत:, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126क के प्रावधानों के अनुसार उस अवधि, जो निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित की जाए, के दौरान किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल के संचालन तथा ऐसे एग्जिट पोल के परिणाम के प्रकाशन और प्रसारण पर प्रतिबंध होगा।

4. अब, इसलिए, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126क की उप-धारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत निर्वाचन आयोग, उक्त धारा की उप-धारा (2)(ख) के उपबंधों के संबंध में एतद्वारा **दिनांक 12.05.2018 (शनिवार)** के **पूर्वाह्न 07.00 बजे** के **अपराह्न 06.30 बजे** के बीच की अवधि को, ऐसी अवधि के रूप में अधिसूचित करता है जिसके दौरान आयोग के दिनांक 27 मार्च, 2018 के प्रेस नोट संख्या ईसीआई/पीएन/22/2018 के <u>द्वारा</u> घोषित कर्नाटक विधान सभा के वर्तमान साधारण निर्वाचन से संबंधित किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल का संचालन तथा प्रिंट या इलैक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा इसके प्रकाशन या प्रचार अथवा किसी भी अन्य तरीके से उसके प्रसार पर प्रतिबंध रहेगा।

5. इसके अतिरिक्त, यह भी स्पष्ट किया जाता है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126(1)(ख) के अधीन उपर्युक्त साधारण निर्वाचनों के संबंध में प्रत्येक चरण में मतदान की समाप्ति के लिए नियत अवधि के साथ समाप्त होने वाले 48 घंटो की अवधि के दौरान किसी भी प्रकार के निर्वाचन संबंधी मामले का, जिसमें किसी भी ओपीनियन पोल या अन्य कोई पोल सर्वेक्षण शामिल है, के परिणामों सहित, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रदर्शन करने पर प्रतिबंध रहेगा।

आदेश से,

ह./-
(एन.टी.भुटिया)
सचिव